Name – (Dr) D. N. Singh
Designation – Associate Professor
Deptt – Political Science
Paper – Political Thought
MA – Pol-Sc – 1st Sem
Topic – Hellenic and Universal Elements in Aristotle Part II – Date-01-11-2020

अरस्तू के चिन्तन में शाश्वत (सार्वभौमिक) तत्व

(UNIVERSAL ELEMENTS IN ARISTOTLE)

यदि अरस्तू के चिन्तन में केवल यूनानी तत्व ही होते तो उसका चिन्तन कभी का ही नष्ट हो चुका होता। वस्तुतः यूनानी तत्वों के साथ ही हमें उसके राजनीतिक दर्शन में कुछ ऐसे सिद्धान्त भी मिलते हैं जिन्हें शाश्वत मूल्य के सिद्धान्त कहा जा सकता है और जो आज भी उतने ही औचित्यपूर्ण प्रतीत होते हैं, जितने कि उसके जीवनकाल में थे। शाश्वत तत्वों से तात्पर्य अरस्तू के उन विचारों से है जो देश काल और युग की सीमा रेखाओं का अतिक्रमण करते हैं, जो समूचे मानव समाज के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, उ

अरस्तू ने संचित ज्ञान भण्डार की अमूल्य निधियां हैं एवं जो राजनीतिक दर्शन की बालू में सोने के कण
उसके दर्शन में निम्नलिखित शाश्वत तत्व उल्लेखनीय है—

(1) मानवीय प्रकृति की विवेचना—अरस्तू ने मानवीय प्रकृति की घोषणा करते हुए कहा कि 'मानव
एक सामाजिक प्राणी है, समाज के अभाव में उसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। उसने यह
घोषणा की कि मानव प्रकृति का यदि सही रूप में परिमार्जन नहीं किया जाए तो मनुष्य समस्त जीवधारियों
में अत्यन्त दुष्ट एवं निकृष्ट प्राणी सिद्ध होगा। अतः मनुष्य का समाजीकरण किया जाना और मानव को
समुचित अनुशासन में रखा जाना अत्यावश्यक है। वह यह भी कहता है कि समस्त राजनीतिक एवं सामाजिक
संस्थाओं के अस्तित्व का आधार मनुष्य में पायी जाने वाली सामाजिकता की सहज प्रवृत्ति है।

(2) राज्य एक स्वाभाविक और सर्वोच्च संस्था है—अरस्तू ने राज्य को मानव का प्राकृतिक, अनिवार्य
एवं सर्वोत्कृष्ट समुदाय घोषित किया है। मानव के लिए राज्य प्राकृतिक है उसके समस्त प्रकार के समुदायों में
यह सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक महत्व का समुदाय है। जीवन रक्षा के प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य की
उत्पत्ति होती है; जीवन को सुन्दर तथा सुन्दरतम बनाने के लिए श्रेष्ठ एवं सुखकर बनाने के लिए इसका
अस्तित्व कायम रहता है। इस प्रकार राज्य की प्रकृति, उत्पत्ति एवं कार्यों के विषय में विचार प्रकट कर,
अरस्तू ने राजनीतिशास्त्र के कुछ ऐसे अटल सत्यों पर स्तुत्य प्रकाश डाला है, जिन पर प्राचीन काल से लेकर
आज तक राजनीतिशास्त्र के विद्वान बराबर चिन्तन करते आ रहे हैं।

(3) मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है—अरस्तू प्रथम विचारक था जिसने इसे वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित
किया। उसकी यह उक्ति कि 'मनुष्य सामाजिक प्राणी है'—राजनीतिक दर्शन का मूलमन्त्र माना जाता है।

(4) व्यक्ति की स्वतन्त्रता और राज्य की सत्ता में सामंजस्य स्थापित करना—अरस्तू प्रथम विचारक था जिसने
व्यक्ति की स्वतन्त्रता और राज्य की सत्ता के मध्य ऐसा सम्बन्ध स्थापित किया जिसमें शाश्वत राज्य के अंश
दिखाई देते हैं। तार्किक विचारकों ने जहां नग्न व्यक्तिवाद का समर्थन किया और राज्य को व्यक्ति के हित
साधने का साधन मात्र माना, वहां प्लेटो ने राज्य की आंगिक एकता को इतना अधिक महत्व दिया कि राज्य
के सन्दर्भ में व्यक्ति का अंग से अधिक कोई अन्य अस्तित्व ही उसने स्वीकार नहीं किया। इन दोनों अतिवादी
विचारों से दूर रहते हुए अरस्तू ने राज्य और व्यक्ति के सम्बन्धों को व्यावहारिक धरातल पर स्थापित किया।
जहां एक ओर अरस्तू ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य व्यक्ति के लिए अनिवार्य, प्राकृतिक एवं सर्वोच्च महत्व
का समुदाय है, वहां उसने एक व्यक्तिवादी विचारक की भांति यह भी घोषणा की है कि राज्य के अतिरिक्त
भी व्यक्ति की अन्य प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्थाएं हैं। व्यक्ति राज्य का अंग मात्र ही नहीं अपितु साथ ही
साथ उसका व्यक्तिगत अस्तित्व भी है। अरस्तू के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तिगत अस्तित्व का भी आदर किया
जाना चाहिए। अरस्तू ने राज्य को अपने आप में एक लक्ष्य नहीं माना, बल्कि राज्य को एक ऐसा साधन
माना है, जिसका साध्य है व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करना।

(5) कानून की प्रभुता—कानून की सर्वोच्चता की घोषणा करके एक अन्य शाश्वत तत्व को अरस्तू ने
अपने राजनीतिक चिन्तन में स्थान दिया है। उसने इस धारणा का खण्डन किया है कि एक विवेकशील व्यक्ति
के हाथ में शासन की बागडोर सौंपकर मनुष्यों को मूक पशु की भांति उसके आदेशों का पालन करना चाहिए।
अरस्तू ने स्पष्ट कहा कि सर्वोच्च विवेक सम्पन्न व्यक्ति का मनमाना शासन किसी भी प्रकार से कानून के
शासन से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अरस्तू ने इस शाश्वत सत्य का प्रतिपादन किया कि कानून समाज के श्रेष्ठतम
विवेक के आधार पर निर्मित होते हैं, कानून में अव्यक्तिगत तत्व होते हैं एवं कानून द्वारा शासित होने पर
व्यक्ति के स्वाभिमान को किसी प्रकार से धक्का नहीं लगता। इस प्रकार हजारों वर्ष पहले अरस्तू ने राजनीतिक
दर्शन के इस शाश्वत सत्य को प्रकट किया कि व्यक्तिगत शासन की तुलना में कानून का शासन सर्वोत्तम
है। संक्षेप में, उसने इस शाश्वत धारणा का सूत्रपात किया है कि श्रेष्ठ कानून श्रेष्ठ व्यक्ति से कहीं अधिक
विश्वसनीय होता है।

(6) प्रभुसत्ता—अरस्तू के चिन्तन में संप्रभुता के बीज भी दिखलाई देते हैं। उसने इस तथ्य को दृढ़
किया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक सर्वोच्च शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। इस सर्वोच्च शक्ति को
उसने कानून के ऊपर न मानकर, कानून के अन्तर्गत माना है। उसके अनुसार राज्य की सर्वोच्च शक्ति को
कानून के अनुशासन में ही रहना चाहिए। बार्कर के शब्दों में, "इस प्रकार सार्वभौमिकता (Sovereignty)

सम्बन्धी अन्य वैज्ञानिक एवं शास्त्र विचारों का प्रतिपादन तो अरस्तू नहीं कर पाया है, किन्तु इस विषय पर उसने जो कुछ विचार प्रस्तुत किये थे उनका परिष्कार एवं परिमार्जन होता चला गया एवं कालान्तर में सार्वभौमिकता सम्बन्धी विचारों का सविस्तार वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित हुआ है। अतः अरस्तू को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि वह सार्वभौमिकता का दर्शन प्रस्तुत करने वाले चिन्तकों का मार्गदर्शक था।

(7) **सरकार के तीनों अंगों का दर्शन**—अरस्तू ने स्पष्ट रूप से सरकार के तीन अंग विचारात्मक (Deliberative), राजनीतिक अधिकारी वर्ग (System of Magistracies) अर्थात् कार्यपालिका और न्यायिक (Judicial) बतलाये, जो आगे जाकर आधुनिक शक्तियों के पृथक्करण (Theory of Separation of Powers) का आधार बने।

(8) **मध्य वर्ग**—यह आज के सन्तुलन और नियन्त्रण (Checks and Balance) के सिद्धान्त का आधार बना। प्रो. केटलिन ने इस सिद्धान्त के कारण अरस्तू को मध्यमवर्गीय सामान्य ज्ञान (Middle class common-sense) का दार्शनिक कहा है।

(9) **आर्थिक साधनों का राजनीतिक जीवन पर प्रभाव**—अरस्तू के चिन्तन में एक शाश्वत तत्व यह भी पाया जाता है कि आर्थिक साधनों का राजनीतिक जीवन के संगठन पर समुचित रूप से प्रभाव पड़ता है। इसीलिए उसने व्यक्तिगत सम्पत्ति की आवश्यकता को स्वीकार किया है। वह स्पष्ट रूप से कहता है कि सम्पत्ति के अभाव में व्यक्ति अपने जीवन का समुचित विकास नहीं कर सकता। मानवमात्र के विकास के लिए सम्पत्ति अत्यावश्यक साधन है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी व्यवस्था को अस्वीकार करते हुए अरस्तू ने इस चिन्तन सत्य का प्रतिपादन किया है कि आर्थिक साधन ही एक बड़ी सीमा तक मनुष्य के राजनीतिक जीवन का स्वरूप निश्चित करते हैं। इसी कारण संविधानों का वर्गीकरण करते समय उसने आर्थिक आधार पर प्रजातन्त्र, धनिकतन्त्र, कुलीनतन्त्र इत्यादि के रूप में उनका वर्गीकरण किया है।

(10) **तुलनात्मक एवं आगमनात्मक पद्धति**—आज तुलनात्मक राजनीति का राजनीति विज्ञान में बोलबाला है। अरस्तू ने 158 संविधानों की तुलना करके निष्कर्ष निकाले और तुलनात्मक पद्धति का श्रीगणेश किया। इसीलिए तो यह कहा जाता है कि तुलनात्मक पद्धति का प्रारम्भ अरस्तू से होता है। आगमनात्मक पद्धति की नींव भी अरस्तू ने ही डाली थी।

(11) **संविधानवाद**—अरस्तू के राजदर्शन में एक शाश्वत तत्व संविधानवाद है। राजा की स्वेच्छाचारिता के स्थान पर वैध शासन का समर्थन करने वाला अरस्तू था, इस विचार ने राजनीतिशास्त्र को आच्छादित करके उसे विकसित किया है। **बार्कर** ने कहा है कि अरस्तू की देन को यदि एक शब्द में आंका जाय तो वह शब्द 'संविधानवाद' है। इसीलिए प्रो. इबन्स्टीन ने कहा है, "भावी संतति को अरस्तू की कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देन संवैधानिक राज्य के कानून के शासन की धारणा है।"

(12) **शक्ति विभाजन या शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त**—आधुनिक शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त अरस्तू के शक्ति विभाजन सिद्धान्त पर ही बहुत कुछ आधारित है। वर्तमान में राज्य की शक्ति व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका में बंटी होती है। अरस्तू इन तीनों विभाजनों को विचारात्मक (Deliberative), विधि निर्माण करने वाली (Legislative) तथा न्याय का कार्य करने वाली (Judicial) का नाम देता है। इस तरह शक्ति विभाजन के सिद्धान्त का मूल अरस्तू के दर्शन में देखने को मिलता है।

(13) **राजनीतिक संगठन और क्रियाओं पर आर्थिक प्रभाव**—अरस्तू के चिन्तन में एक महत्वपूर्ण शाश्वत तत्व यह है कि उसने राजनीति और अर्थशास्त्र के पारस्परिक सम्बन्धों को पहचान कर राजनीतिक संगठन और क्रियाओं पर होने वाले आर्थिक प्रभाव को बड़ा महत्व दिया है। राजनीति और अर्थव्यवस्था का यही सम्बन्ध बताते हुए कहता है कि शासन की अनेक समस्याओं का कारण धनिकों और निर्धनों का संघर्ष है। उसने सरकारों का जो वर्गीकरण किया और धनिकतन्त्र और जनतन्त्र के जो बहुत से विभाग किए हैं उनका अन्तिम आधार आर्थिक ही है। अरस्तू की यह मान्यता कि यदि राज्य में अत्यधिक गरीब और अत्यधिक अमीर होंगे तो स्थिरता और समृद्धि नहीं पनप सकती, आज भी सत्य है। वर्तमान काल की अधिकांश राजनीतिक उथल-पुथल आर्थिक कारणों से ही होती है।

(14) **अरस्तू के प्रजातन्त्र सम्बन्धी विचारों की आज के प्रसंग में सार्थकता**—अरस्तू के प्रजातन्त्र सम्बन्धी विचार आज भी सामयिक एवं अत्यन्त महत्व के हैं। प्रजातन्त्र की आलोचना करते हुए अरस्तू ने कहा है कि

र्व संख्या की समानता के आधार पर समानता बरती जाती है। व्यक्तियों की तुलनात्मक योग्यता एवं श्रेष्ठता के आधार पर नहीं। अरस्तू द्वारा बतायी गई यह त्रुटि आज भी विश्व के अधिकांश प्रजातन्त्रों में आम तौर पर दी जाती है। इसके अलावा करिश्माई नेताओं और लुभावने नारों द्वारा प्रजातन्त्र में नागरिकों को गुमराह किया जाता है।

निष्कर्ष—संक्षेप में, अरस्तू की 'पॉलिटिक्स' शाश्वत तत्वों का भण्डार है। अरस्तू प्रथम राजनीतिक दार्शनिक था जिसने कल्पना के घोड़े दौड़ाने के बजाय इस जगत के वास्तविक वातावरण को आधार मानकर राजनीति विज्ञान के सिद्धान्तों पर विचार किया। अरस्तू के विचारों की शाश्वतता के कारण ही आज भी यह माना जाता है कि राजनीतिशास्त्र का कोई भी अध्ययन तब तक पूरा नहीं कहा जा सकता, जब तक कि पृष्ठभूमि के रूप में अरस्तू के विचारों को न पढ़ा जाए। अरस्तू के विचारों की शाश्वतता के कारण ही ... ने लिखा है, ''राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तू की 'पॉलिटिक्स' एक अनुपम देन है।'' उसके दर्शन को भविष्य के राजनीतिक दर्शन का आधार माना जाता है। उसने तेरहवीं शताब्दी में टॉमस एक्वीनास को, चौदहवीं शताब्दी में मारसीलियो को, पन्द्रहवीं शताब्दी में मैकियावेली को, सत्रहवीं शताब्दी में हॉब्स और मॉण्टेस्क्यू को, अठारहवीं शताब्दी में रूसो और उन्नीसवीं शताब्दी में हीगल को पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। उसके उदारवाद, अनुदारवादी विचार, शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्त और कानून की सर्वोच्चता के विचार बीसवीं शताब्दी के राजनीतिक चिन्तन की आधारशिला हैं।